फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– ..... सहायक कलक्टर ..... मुकाम– ..... डीडवाना .....

ार्थी:– उस्मान पुत्र जोमरदीन खां जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम्

प्रार्थीगण:– इकबाल पुत्र जोमरदीन खां जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान वगैरह।

स्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 10 सन्–.....2022..

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
.01.2022	प्रार्थी उस्मान पुत्र जोमरदीन खां जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण इकबाल पुत्र जोमरदीन खां जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान वगैरह के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद शैरानी आबाद के खसरा सं0 503 में मौका व राजस्व रेकर्ड कि यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 10.03.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर) 27/1/22 वकील प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं आता है बाद जरिये विडियो रनाविज हो उसका बाद रनाविज होने से कम प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं रह जाता है [illegible] रनाविज बिना [illegible] दुबारा पेश कर प्रार्थना पत्र दायर हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	अ.नि. उस्मान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:11:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner